संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश,

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

पीपीटी–2010 के आधार पर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु

ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग कार्यक्रम (द्वितीय चरण), सत्र 2010–11

प्रथम चरण की काउंसिलिंग उपरांत रिक्त रह गई सीटों के लिये व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा आयोजित पीपीटी–2010 की प्रवेश परीक्षा के घोषित परिणामों के आधार पर प्रदेश के पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार समय–सारणी अनुसार ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग में इंटरनेट के माध्यम से अपने घर/शहर/गॉव से, अधिकृत सहायता केन्द्रों से अथवा एमपीऑनलाइन के मध्यप्रदेश स्थित किसी भी कियोस्क से वेबसाईट www.dtempcounselling.org या www.mponline.gov.in के माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं। अधिकृत सहायता केन्द्रों–सह–कियोस्क केन्द्रों की सूची (जोकि मध्यप्रदेश के समस्त पोलीटेक्निक महाविद्यालय/महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय/राज्य के स्वशासी एवं अनुदान प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय हैं) उपरोक्त दोनों वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।

निम्नलिखित श्रेणी/वर्ग के उम्मीदवार उनके समक्ष दर्शाये मेरिट अंक के अनुसार काउंसिलिंग में सम्मिलित होंगेः–

श्रेणी/वर्ग	पीपीटी–2010 में मेरिट अंक (Merit Marks)
समस्त श्रेणियों (UR/OBC/SC/ST) के विकलांग/सैनिक/स्व.संग्राम सेनानी के उम्मीदवार	समस्त उम्मीदवार
समस्त श्रेणियों (UR/OBC/SC/ST) की महिला (F) उम्मीदवार	समस्त उम्मीदवार
अनुसूचित जनजाति (ST) के पुरूष उम्मीदवार	समस्त उम्मीदवार
अनुसूचित जाति श्रेणी के बिना वर्ग (SC/Nil) के पुरुष उम्मीदवार	44 अथवा उससे अधिक
अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के बिना वर्ग (OBC/Nil) के पुरूष उम्मीदवार	44 अथवा उससे अधिक
अनारक्षित श्रेणी के बिना वर्ग (UR/Nil) के पुरुष उम्मीदवार	44 अथवा उससे अधिक

//समय–सारणी//

क्र. (STEPS)	क्या करना है ?	निर्धारित तिथियां	कहां से ?
1.	**दस्तावेजों का सत्यापन (Documents Verification)**	04/09/2010 से 10/09/2010 तक (प्रातः 10.30 बजे से सांय 5 बजे तक कार्य दिवसों में)	दस्तावेजों का सत्यापन अधिकृत **सहायता केन्द्रो (Help Centres)** (जोकि मध्यप्रदेश के समस्त पोलीटेक्निक महाविद्यालय/महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय/राज्य के स्वशासी एवं अनुदान प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय हैं) से कराना है जिसकी सूची वेबसाइट वेबसाईट www.dtempcounselling.org या www.mponline.gov.in पर उपलब्ध है ।
2.	**ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (Online Registration)**	04/09/2010 से 10/09/2010 की रात्रि 11.45 बजे तक	इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी अथवा किसी भी सहायता केन्द्र (Help Centre) से
3.	**इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना (Online Preference Selection, Choice Filling and Locking)**	04/09/2010 से 10/09/2010 की रात्रि 11.45 बजे तक	इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी अथवा किसी भी सहायता केन्द्र (Help Centre) से
4.	**आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता (Online availability of Allotment Letter**	14/09/2010 से 20/09/2010 तक	इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी
5.	**आवंटित संस्था में उपस्थिति (Reporting at Allotted Institution)**	14/09/2010 से 20/09/2010 तक (प्रातः 10.30 बजे से सांय 5 बजे तक कार्य दिवसों में)	आवंटित संस्था में उपस्थित होकर

सहायता केन्द्र (Help Centre) :– मध्यप्रदेश के समस्त पोलीटेक्निक महाविद्यालय/महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय/राज्य के स्वशासी एवं अनुदान प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय हैं ।

नोटः– ऑनलाइन पंजीयन हेतु देय शुल्क समस्त श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये 220/–रू., तथा ऑनलाइन संस्थाओं की प्राथमिकताक्रम के चयन उपरांत लॉक करने हेतु देय काउंसिलिंग शुल्क हेतु 380/–रू. देय होगा। उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं (नॉन रिफण्डेबल) होंगे। उम्मीदवार जो प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसिलिंग में सम्मिलित हुए थे तथा अपना प्रवेश निरस्त करवाकर पुनः काउंसिलिंग में सम्मिलित होना चाहते हैं अथवा जिन्हें पूर्व में आवंटन प्राप्त नहीं हुआ था अथवा जिन्होंने आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश प्राप्त नहीं किया है उन्हें ऑनलाइन रजिस्टेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है, वे सीधे ऑनलाइन संस्थाओं की प्राथमिकताक्रम के चयन उपरांत लॉक कर सकेंगे तथा इसके लिये उन्हें शुल्क हेतु 180/–रू. देय होगा।

द्वितीय चरण की ऑनलाईन काउंसिलिंग में कौन सम्मिलित होंगें ?

द्वितीय चरण की ऑनलाइन काउंसिलिंग में निम्नलिखित उम्मीदवार सम्मिलित हो सकते हैं:–

(1) जो प्रथम चरण की काउंसिलिंग में सम्मिलित नहीं हो सके थे।

(2) जिन्होंने प्रथम चरण की काउंसिलिंग में च्वाईस भरकर शुल्क का भुगतान कर लॉक कर दिया था किन्तु उन्हें आवंटन प्राप्त नहीं हो सका था।

(3) उम्मीदवार जो प्रथम चरण की काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के पश्चात् प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं तथा अपना प्रवेश संस्था से दिनांक 3 सितम्बर, 2010 ऑनलाइन निरस्त करवा लिया है।

द्वितीय चरण की ऑनलाईन काउंसिलिंग में कैसे सम्मिलित हो सकते हैं ?

ऑनलाइन काउंसिलिंग में उम्मीदवार निम्नलिखित किसी भी माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं:–

सारणी क्रमांक 1

इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाईन काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के विकल्प

- अपने घर में इंटरनेट की सुविधा होने पर घर से।
- निकटस्थ सहायता केन्द्रों (शासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय/शासकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय/अशासकीय अनुदान प्राप्त पोलीटेक्निक महाविद्यालय (जिनकी सूची पते एवं दूरभाष क्रमांक सहित वेबसाइट www.mponline.gov.in तथा www.dtempcounselling.org पर उपलब्ध है) में स्थित इंटरनेट के सुविधा केन्द्रों से।
- एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से (जिनकी सूची पते एवं दूरभाष क्रमांक सहित वेबसाइट www.mponline.gov.in पर उपलब्ध है)
- उम्मीदवार के शहर/गॉव में स्थित इंटरनेट के माध्यम से ।

Website:- www.dtempcounselling.org or www.mponline.gov.in

1. दस्तावेजों का सत्यापन (Documents Verification)

समस्त श्रेणी/वर्ग के उम्मीदवारों को सर्वप्रथम अपने मूल दस्तावेजों का काउंसिलिंग प्राधिकारी द्वारा अधिकृत निकटस्थ सहायता केन्द्रों **(Help Centres)** जोकि प्रदेश के समस्त शासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय /शासकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय/अशासकीय अनुदान प्राप्त पोलीटेक्निक महाविद्यालय (जिसकी सूची **mponline** तथा सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट में उपलब्ध है) में उपस्थित होकर सत्यापन करवाना होगा। लेकिन **जिन उम्मीदवारों ने प्रथम चरण की काउंसिलिंग के दौरान अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवा लिया है उन्हें पुनः दस्तावेजों का सत्यापन करवाने की आवश्यकता नहीं है ।**

उम्मीदवारों को निम्नलिखित मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना है :–

- मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोडकर) (OBC) उम्मीदवारों के लिये अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण–पत्र (जो लागू हो)
- नवीनतम आय प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)
- अर्हकारी परीक्षा (10वीं) की अंकसूची
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण–पत्र
- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF)/सैनिक का प्रमाण–पत्र (S) (यदि लागू हो)
- विकलांग उम्मीदवारों के लिये अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी निम्नलिखित प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)
  - जिला जिला चिकित्सा मंडल द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र ; तथा
  - अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांगों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (Superintendent, Vocational Rehabilitation Centre for Physically Handicapped, Govt. of India, Ministry of Labour) नेपियर टाउन, जबलपुर द्वारा जारी पाठ्यक्रम पात्रता प्रमाण–पत्र

टीप:– 1) यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण दस्तावेजों के सत्यापन के लिये स्वयं उपस्थित होने में असफल रहता है तथा वह चिकित्सालय में भर्ती है, तो उसके संरक्षक/अभिभावक को उसकी ओर से दस्तावेजों के सत्यापन कराने के लिये उपस्थित होने हेतु अनुज्ञा दी जा सकेगी, बशर्तें कि संबंधित अभ्यर्थी बीमारी तथा चिकित्सालय में भर्ती होने के सबूत के रूप में संबंधित सी.एम.ओ./सिविल सर्जन व्दारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाणपत्र के साथ इस आशय का प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करे। यदि बाद में यह पाया जाए कि अभ्यर्थी व्दारा उपलब्ध कराई गई जानकारी गलत थी, तो प्रवेश रद्द किए जाने का उत्तरदायी होगा।

2) उम्मीदवारों को सहायता केन्द्रों पर मूल दस्तावेज सत्यापन उपरांत वापिस कर दिये जावेंगे ।

3) सहायता केन्द्र, उम्मीदवारों को Eligble/Not Eligible की पावती जारी करेंगें ।

4) Not Eligible उम्मीदवार सत्यापन की अंतिम तिथि के पूर्व पुनः उपस्थित होकर अपने सही/चाहे गये दस्तावेजों का सत्यापन करवा सकते हैं अथवा आरक्षित श्रेणी में Not Eligible होने पर उम्मीदवार अपनी स्वेच्छा से **अनारक्षित उम्मीदवार** की श्रेणी से काउंसिलिंग हेतु अपना ऑनलाईन पंजीयन करवा सकते हैं ।

2. ऑनलाइन पंजीयन (Online Registration)

उम्मीदवारों को काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिये ऑनलाईन पंजीयन कराना होगा। ऑनलाईन काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिये उम्मीदवार दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत www.mponline.gov.in पर ऑनलाइन पंजीयन करवाएंगे। ऑनलाइन पंजीयन हेतु समस्त श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये पंजीयन शुल्क रु 220/– (पोर्टल चार्जेस 20 रु सहित) देय होगा ।

पंजीयन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया होगी–

- उम्मीदवार वेबसाइट www.dtempcounselling.org अथवा www.mponline.gov.in में उपलब्ध संबंधित पाठ्यक्रम में जाकर Registration करावें
- ऑनलाईन काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिये उम्मीदवार को निम्नलिखित डाटा रजिस्ट्रेशन के लिये आवश्यक होगाः–
  - व्यापमं द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा का रोल नंबर
  - जन्म तिथि
  - अर्हकारी परीक्षा (10वीं) का रोल नंबर
  - अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले बोर्ड का नाम
  - अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण क1रने का वर्ष

<u>पंजीयन शुल्क का भुगतान के लिये निम्नलिखित सारणी में दिये गये विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प का उपयोग किया जा सकता है:–</u>

सारणी क्रमांक 2 शुल्क भुगतान करने के विकल्प
➢ इंटरनेट बैंकिंग (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया/स्टेट बैंक ऑफ इंदौर/एक्सिस बैंक)
➢ क्रेडिट कार्ड (मास्टर/वीजा कार्ड) आई.सी.आई.सी.आई.बैंक/स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के गेटवे के माध्यम से
➢ एटीएम–कम–डेबिट कार्ड (Maestro Card) –स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के गेटवे के माध्यम से
➢ AXIS बैंक के पे–स्लिप द्वारा
➢ सभी अधिकृत सहायता केन्द्रों–सह–कियोस्क केन्द्रों पर नगद भुगतान द्वारा
➢ एमपीऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर नगद भुगतान द्वारा

पंजीयन शुल्क के भुगतान उपरांत ही उम्मीदवार को शुल्क भुगतान की रसीद तथा अस्थाई पासवर्ड प्राप्त होगा। अतः शुल्क भुगतान उपरांत ऑनलाइन रसीद अवश्य प्राप्त कर लेंवे ।

<u>महत्वपूर्ण :–</u>

- ✓ उम्मीदवार प्रथमतः प्राप्त पासवर्ड को अनिवार्य रूप से सुरक्षा की दृष्टिकोण से बदल लेवें तथा बदले हुए पासवर्ड को किसी को न बताएं ।
- ✓ अगली बार उम्मीदवार अपने प्रवेश परीक्षा के रोल नंबर, जन्म तिथि एवं परिवर्तित पासवर्ड का उपयोग कर लागईन कर सकेगें । उम्मीदवार जब भी लॉगईन करे अनिवार्यतः अंत में सुरक्षा की दृष्टि से लॉगआउट भी करे ।
- ✓ सभी उम्मीदवार सुनिश्चित कर ले कि काउंसिलिंग की प्रक्रिया के लिये **पासवर्ड** सुरक्षित व गोपनीय रखें ताकि समय–समय पर आवश्यकतानुसार उसका उपयोग करने में परेशानी न हो ।
- ✓ पासवर्ड भूल जाने/गुम जाने की दशा में उम्मीदवार के द्वारा पंजीयन के समय जो अतिरिक्त जानकारियां दी गई है, उनका उपयोग कर नया पासवर्ड प्राप्त किया जा सकता है ।
- ✓ उम्मीदवार को यह सुविधा रहेगी की वह कभी भी अपना पासवर्ड बदल लें ।

3. ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम का चयन (Online Preference/Choice Filling)

ऑनलाईन पंजीयन के उपरांत उम्मीदवार पाठ्यक्रमवार संस्थाओं की प्राथमिकताक्रम का चयन कर सकेगें। इस कार्यवाही के लिये निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन करना होगा–

- उम्मीदवार अपने लॉगइनआईडी/पासवर्ड से लॉगइन करें तत्पश्चात संस्थाओं/शाखाओं (ब्रांच) की प्राथमिकताक्रम का चयन करे
- उम्मीदवार कम से कम एक तथा अधिक से अधिक सभी उपलब्ध संस्थाओं/ब्रांचों का प्राथमिकतानुसार ऑनलाईन चयन कर सकेंगे । जिसे निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व शुल्क के भुगतान करने पर अंतिम रूप से लॉक किया जा सकेगा ।
- अपनी पसंद/प्राथमिकताक्रम को लॉक करने के पूर्व उम्मीदवार अपनी पसंद/प्राथमिकताक्रम को अपनी संतुष्टि के लिये कई बार बदल सकते हैं । समस्त उम्मीदवारों को अपनी पसंद/प्राथमिकताक्रम को लॉक करने के लिये रूपये 380/– (रू. 80/–पोर्टल चार्जेस सहित) शुल्क का भगुतान करने के बाद पसंद/प्राथमिकता लॉक हो जावेगी तथा उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकेगा । ऐसे उम्मीदवार जो प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसिलिंग में सम्मिलित हुए थे तथा अपना प्रवेश निरस्त करवाकर पुनः काउंसिलिंग में सम्मिलित होना चाहते हैं अथवा जिन्हें पूर्व में आवंटन प्राप्त नहीं हुआ था अथवा जिन्होंने आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश प्राप्त नहीं किया है उन्हें ऑनलाइन रजिस्टेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है, वे सीधे ऑनलाइन संस्थाओं की प्राथमिकताक्रम के चयन उपरांत लॉक कर सकेंगे तथा इसके लिये उन्हें शुल्क हेतु 180/–रू. देय होगा।
- निर्धारित शुल्क के भुगतान एवं च्वाईस को लॉक करने के बाद उम्मीदवारों को एक पावती प्राप्त होगी जिसमें भुगतान किये गये शुल्क का ब्यौरा तथा उनकी च्वाईस का क्रम प्राथमिकताक्रम के अनुसार मुद्रित होगा। उम्मीदवार इस पावती को संभालकर अपने पास रखें।

4. ऑनलाइन आवंटन (Online Allotment)

उम्मीदवारों द्वारा भरी गई प्राथमिकताक्रम के आधार पर कॉमन मेरिट रैंक के अनुसार निर्धारित समय–सारणी के अनुसार उम्मीदवारों को आवंटन जारी किया जावेगा तथा आवंटन–पत्र में आवंटित संस्था/पाठ्यक्रम का उल्लेख रहेगा । उम्मीदवार अपने लॉगईनआईडी/पासवर्ड का उपयोग कर आवंटन–पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त करेंगे।

5. आवंटित संस्था में उपस्थिति (Reporting at Alloted Institute)

उम्मीदवारों को प्रवेश लेने हेतु आवंटित संस्था में अपने समस्त मूल प्रमाण–पत्र तथा आवश्यक शिक्षण शुल्क के साथ उपस्थित होना होगा । आवंटित संस्था में प्रवेश हेतु उपस्थित होकर निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन कर प्रवेश प्राप्त करना होगाः–

- संस्था के अधिकृत अधिकारी उनकी संस्था के लिये जारी किये गये लॉगइनआई एवं पासवर्ड से उम्मीदवार की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा
- रिपोर्टिंग के तुरंत बाद ऑनलाईन प्रवेश पर्ची का प्रिंटआउट जोकि संस्था के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षरित होगी, उम्मीदवारों को आवश्यक रूप से दी जावेगी ।

महत्वपूर्ण टीपः–

- प्रवेश नियम वेबसाईट पर उपलब्ध हैं । उम्मीदवार ऑनलाईन काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व प्रवेश नियमों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों को तैयार रखें । संस्थाओं/शाखाओं की सूची अपने पास रख लें जोकि प्राथमिकताक्रम निर्धारित करने के लिये सहायक होगी ।
- उम्मीदवार सुनिश्चित कर लें कि वे अपने अर्हकारी परीक्षा एवं अन्य योग्यता प्रवेश हेतु पूर्ण करते हैं । आवंटित संस्था में सभी उम्मीदवारों के अर्हकारी परीक्षा तथा अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान कमी पाये जाने पर आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी उम्मीदवार की होगी । प्रवेश हेतु पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेजों के लिये प्रवेश नियमों का अध्ययन अवश्य कर लें ।
- सभी उम्मीदवार कृपया सुनिश्चित कर ले कि काउंसिलिंग की प्रक्रिया के लिये जो **पासवर्ड** रहेगा उसे सुरक्षित रखें ताकि समय–समय पर आवश्यकतानुसार उसका उपयोग करने में परेशानी न हो ।
- ऑनलाईन काउंसिलिंग के लिये उम्मीदवारों द्वारा जो ई–मेल आईडी तथा मोबाईल नंबर दिया गया है, उसका अवलोकन करते रहें क्योंकि काउंसिलिंग के विभिन्न स्तरों पर उम्मीदवारों को इनपर जानकारी उपलब्ध कराई जावेगी ।
- रजिस्ट्रेशन, च्वाइस फिलिंग तथा शुल्क का भुगतान करते समय यदि किसी तरह की कठिनाई आये तो वे वेबसाईट में दिये गये **Payment Status, User Grievances, Forgot Password, Reprint Receipt** आदि **Links** का उपयोग करें ।
- ऑनलाइन काउंसिलिंग के विभिन्न स्तरों पर किये जाने वाले शुल्क का भुगतान निम्नलिखित किसी भी माध्यम से किया जा सकता हैः– इंटरनेट बैंकिंग (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया/स्टेट बैंक ऑफ इंदौर) द्वारा/क्रेडिट कार्ड (मास्टर/वीजा कार्ड) ICICI Bank or State Bank of India के Gateway द्वारा/ATM-cum-Debit Card: Maestro Card (State Bank of India के Gateway द्वारा)/सभी अधिकृत सहायता केन्द्रों पर नगद भुगतान द्वारा/एमपीऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर नगद भुगतान द्वारा

प्रवेश नियम, सीटों का विवरण, संस्थानों के विवरण, संस्थानों की ट्यूशन फीस तथा सहायता केन्द्रों/कियोस्क केन्द्रों आदि की जानकारी एमपीऑनलाइन की वेबसाइट www.mponline.gov.in तथा सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट www.dtempcounselling.org पर उपलब्ध रहेगी।

पूछताछ (0755) 4019401/4019402/4019403/4002361/4002362/4002363/2660554/2660434/2660441

अध्यक्ष–काउंसिलिंग समिति एवं
संचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश